[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Ministry of Human Resource Development
(Department of School Education and Literacy)

Notification

New Delhi, the 13th April, 2017

S.O.............(E)- Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as NCTE), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the RTE Act), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII vide Notification number F. No. 61-03/20/2010/NCTE(N&S), dated 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010;

And whereas, sub-section (2) of section 23 of the RTE Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the RTE Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

And whereas, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 35 of the RTE Act, the Central Government laid down the guidelines on 8th November, 2010 for the State Governments for submitting proposal to the Central Government for grant of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

And whereas, the Central Government in exercise of the powers under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act granted relaxation to the State Government of Assam for a period up to 31st March, 2015 *vide* notification number S.O. 2067(E), dated the 26th August, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th September, 2011;

And whereas, the State Government of Assam vide its letter dated 28th June, 2016 submitted the following, namely:-
(a) Extension accorded on 26th August, 2011 was valid till 31st March, 2015, but recruitment process could be conducted during 2012 and 2013 only, fulfilling all

guidelines of NCTE. In fact, only two years out of five years of extension accorded by Government of India could be effectively utilized;
(b) Since the year 2014-15, PAB has imposed a condition restricting further recruitment sanction under SSA, Assam, till regular vacancies under Government of Assam are filled up. The process for the said recruitment of about 7229 regular Primary Teachers were initiated immediately by Government of Assam in 2014, but the entire process got delayed due to pending High Court direction till 27th June, 2016;
(c) Moreover, the remaining vacancies under Government of Assam could not be filled up due to issues relating to fund etc. at the level of Government of Assam;

And whereas, Government of Assam submitted a proposal to the Central Government for grant of relaxation of the minimum qualification norms laid down by the NCTE in its notification published in the Gazette of India on 25th August, 2010;

And whereas, the Central Government examined and considered the proposal of the State Government of Assam for extension of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby grants relaxation to the State of Assam in respect of the minimum teacher qualification norms notified by the NCTE as published in the Gazette of India vide F. No.61-03/20/2010/NCTE(N&S) dated 23rd August, 2010, in so far as they relate to classes I-VIII, as under:-

(a) 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I-V; and

(b) 1-year Bachelors in Education (B. Ed) for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

1. The aforementioned relaxation shall be valid for a period of one year, four months and twenty five days which is left over period out of five years specified under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act calculated from the date of this notification and shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) as specified in the aforementioned notification of the NCTE, the Government of Assam shall conduct the Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as TET) in accordance with the guidelines dated 11th February, 2011 issued by the NCTE and only those persons who pass the TET can be considered for appointment as a teacher in elementary classes;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to correspond with the minimum qualification norms laid down by the aforementioned notification of the NCTE;

(iii) in the matter of appointment, the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE's notification dated 25th August, 2010, and only thereafter, consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers should be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers not possessing the minimum academic and professional qualifications laid down in the aforementioned notification of the NCTE shall acquire the same within the time limit specified under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the NCTE Notification within 31st March, 2019.

2. In accordance with sub-paragraph (iii) of paragraph 5 of the TET guidelines issued by the NCTE vide its letter dated 11th February, 2011, the following persons shall also be eligible for appearing in the TET conducted by the State Government of Assam in respect of teacher appointments made in the State for a period of one year, four months and twenty five days, namely:-

(i) for classes I to V – Senior Secondary (or equivalent) with at least 50% marks;
(ii) for classes VI to VIII - Graduation with at least 50% marks.

[F. No. 18-1/2015-EE 4]

(ANITA KARWAL)
Joint Secretary

[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

का.आ...........(अ)- जबकि अध्यापक शिक्षा परिषद् (जिसे आगे एनसीटीई कहा गया है) ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (जिसे आगे आरटीई अधिनियम कहा गया है) के अनुसरण में, किसी व्यक्ति के कक्षा I से कक्षा VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने के लिए अधिसूचना सं. एफ सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई (एनएंडएस) दिनांक 23 अगस्त, 2010 द्वारा 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

और जबकि, आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां राज्य के पास अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं है अथवा आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो, अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं में ऐसी अवधि, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान कर सकती है और इसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

और जबकि, केंद्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य सरकारों के वास्ते 8 नवम्बर, 2010 को दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

और जबकि, केंद्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 12 सितंबर, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2067(अ) दिनांक 26 अगस्त, 2011 के द्वारा असम राज्य सरकार को 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान की थी;

और जबकि, असम राज्य सरकार ने दिनांक 28 जून, 2016 के अपने पत्र द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया:-

(क) दिनांक 26 अगस्त, 2011 को प्रदत्त समय-सीमा विस्तार दिनांक 31 मार्च, 2015 तक वैध था, परंतु भर्ती प्रक्रिया एनसीटीई के सभी दिशा-निर्देशों को पूरा करते हुए केवल 2012 और 2013 के दौरान ही संचालित की जा सकी। वास्तव में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 5 वर्ष की विस्तारित अवधि में से केवल दो वर्ष का ही प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सका;

(ख) वर्ष 2014-15 से पीएबी ने असम सरकार के तहत नियमित रिक्तियां भरे जाने तक एसएसए, असम के तहत आगे भर्ती की प्रक्रिया रोकने की शर्त लगाई है। असम सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लगभग 7229 नियमित प्राथमिक शिक्षकों की उक्त भर्ती की प्रक्रिया तत्काल आरंभ की गई, परंतु समूची प्रक्रिया में लंबित उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण 27 जून, 2016 तक विलंब हुआ;

और जबकि, असम राज्य सरकार ने एनसीटीई की 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता मानदंडों में छूट में विस्तार के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था;

और जबकि, केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत छूट को आगे बढ़ाने के लिए असम राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की और उस पर विचार किया;

अब, तत्पश्चात्, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की फा. सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई(एनएंडएस) द्वारा भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित एनसीटीई द्वारा कक्षा-I से VIII के संबंध में अधिसूचित न्यूनतम शिक्षक अर्हता मानकों के संबंध में असम के लिए छूट को आगे बढ़ाया है जो इस प्रकार है:-

(क) कक्षा-I-V में शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए) में 2 वर्षीय डिप्लोमा; और

(ख) कक्षा VI से VIII में शिक्षक की नियुक्ति के लिए शिक्षा (बीएड) में एक वर्षीय स्नातक डिग्री।

1. उपर्युक्त छूट एक वर्ष, चार माह और पच्चीस दिन की अवधि जो आरटीई अधिनियम की 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत इस अधिसूचना की तारीख से आकलित पांच वर्ष से बची अवधि है, तक वैध रहेगी और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, नामत:-

   i. जैसा कि एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है, असम सरकार एनसीटीई द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के

अनुसरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा (जिसे आगे टीईटी कहा गया है) आयोजित करेगी और टीईटी को उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों पर ही प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है;

ii. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित, न्यूनतम अर्हता मानकों के अनरूप भर्ती नियमों को संशोधित करेंगे;

iii. नियुक्ति के मामले में, राज्य सरकार उन पात्र अभयर्थियों को प्राथमिकतता देगी जो एनसीटीई की दिनांक 25 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं और इसके पश्चात् ही, पात्र अभ्यर्थियों पर इस अधिसूचना में निर्धारित छूट प्राप्त अर्हताओं के साथ विचार किया जाएगा;

iv. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन का राज्य और राज्य के बाहर व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए;

v. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन शिक्षकों के पास एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं नहीं हैं वे इन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित समय सीमा के तहत प्राप्त करेंगे;

vi. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक यह सनिश्चित करेंगे कि जो शिक्षक छूट प्राप्त अर्हताओं के तहत नियुक्त किए गए हैं वे 31 मार्च, 2019 के अंदर एनसीटीई अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे;

2. एनसीटीई द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी टीईटी दिशा-निर्देशों के पैरा 5 के उप-पैरा (iii) के अनुसरण में राज्य में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों के संबंध में असम सरकार द्वारा टीईटी की परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति भी पात्र होंगे नामत:-

i. कक्षा-I से V के लिए- न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या समकक्ष);
ii. कक्षा VI से VIII के लिए- न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक।

[एफ.सं. 18-1/2015-ईई.4]

अनीताकरवल

(अनीता करवल)
संयुक्त सचिव